निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या 30/2015

1. धन्नालाल पुत्र मदनलाल जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. महेन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल जाति माली,
   1/2. मंजूबाई पुत्री धन्नालाल जाति माली,
   1/3. पिंकी पुत्री धन्नालाल जाति माली,
   1/4. मीना पुत्री धन्नालाल जाति माली,
   1/5. बिरधीबाई बेवा धन्नालाल जाति माली निवासीगण ग्राम जिठानी तहसील सांगोद,
2. रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति माली,
3. श्रीमती रूकमणीबाई पुत्री मदनलाल जाति माली,
4. रामकंवरीबाई बेवा मदनलाल जाति माली निवासीगण ग्राम जिठानी तहसील सांगोद जिला कोटा।(डिलिट आदेश 25.08.2025 से)

–वादीगण–

–बनाम–

1. द्वारकीलाल पुत्र रामनाथ जाति नाई,
2. नन्दलाल पुत्र रामनाथ जाति नाई,
3. पप्पू पुत्र रामनाथ जाति नाई(डिलिट आदेश 02.02.2021 से)
4. कमलाबाई बेवा रामनाथ जाति नाई,
5. गोबरीबाई बेवा रामनाथ जाति नाई निवासीगण ग्राम जिठाणी तहसील अटरू जिला बारां,
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

वादपत्र धारा 88, 89 आरटीएक्ट

––:: निर्णय ::––

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील वादी)
2. श्री अनुतोष नागर (वकील प्रतिवादी कं. 1, 2)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया कि :–

• यह कि ग्राम जिठाणी तहसील सांगोद के माल में खसरा नंबर 157 की 16 बिस्वा पूर्व की(घानावाली) बारानी दोयम की आराजी खातेदार रामनाथ पुत्र नारायण जाति नाई निवासी ग्राम जिठाणी तहसील सांगोद के खाते एवं कब्जेकाश्त की स्थित थी। उक्त आराजी को खातेदार रामनाथ पुत्र नारायण ने दिनांक 07.05.1986 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय विलेख वादीगण के पिता मदनलाल पुत्र बालमुकुन्द जाति माली निवासी ग्राम जिठाणी तहसील सांगोद को 2500रूपये में विकय कर विकय विलेख का पंजीयन वादीगण के पिता के नाम करवा दिया था तथा वादीगण के पिता द्वारा आराजी

क्रय करने के बाद से वादीगण के पिता ने ही उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग किया तथा उनकी मृत्यु के बाद आज दिन तक लगातार वादीगण कब्जेकाश्त में होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं।

• यह कि वादीगण के पिता द्वारा वादपत्र में वर्णित आराजी को क्रय करने के बाद लगातार कब्जेकाश्त होकर काश्त किया है तथा आज भी वादीगण कब्जेकाश्त में होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु वादीगण के पिता गांव के भोले भाले व्यक्ति होने तथा उनको राजस्व सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं होने से उक्त क्रयशुदा आराजी को उक्त विक्रय विलेख बेनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम नहीं करवाया तथा उक्त आराजी विक्रेता रामनाथ के खाते दर्ज रही तथा वादीगण के पिता काबिज होकर काश्त करते रहे।

• यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी के खातेदार एवं विक्रेता रामनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में रामनाथ के वारिसान प्रतिवादीगण द्वारकीलाल, नन्दलाल, पप्पू, कमलाबाई व गोबरीबाई का नाम दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण के पिता को नहीं हुई तथा वादीगण की जानकारी में भी नहीं आई तथा वादीगण के पिता उक्त आराजी पर लगातार काबिज होकर काश्त करते रहे।

• यह कि वादीगण के पिता मदनलाल जी की दिनांक 05.08.2011 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक मदनलाल जी के वादीगण ही वारिसान हैं वादीगण द्वारा इस वर्ष पटवारी हल्का से जानकारी करने पर आज से 1 माह पूर्व पता चला कि विक्रेता खातेदार रामनाथ पुत्र नारायण द्वारा आराजी का विक्रय करने, विक्रय विलेख का पंजीयन कराने के बावजूद भी आराजी पर मृतक रामनाथ के वारिसान प्रतिवादीगण कं. 1 लगायत 5 के नाम दर्ज कर दिये हैं तथा उक्त आराजी के विक्रय विलेख के आधार पर वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया है।

• यह कि ऐसी सिथति में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे सम्मानीय न्यायालय में घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद पेश कर माननीय न्यायालय से घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री पारित करावे कि वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम जिठाणी की खसरा नंबर मि. 157 की 16 बिस्वा हाल खसरा नंबर 149 रकबा 0.13 हैक्टर की आराजी से प्रतिवादीगण कं. 1 लगायत 5 का नाम खाते से खारिज कराकर उक्त आराजी पर विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता मदनलाल की मृत्यु हो जाने से तथा वादीगण ही मदनलाल के वारिसान होने से वादीगण का नाम उक्त आराजी जिसका खाता संख्या नया 28 पुराना 27 की खसरा नंबर 149 की 0.13 हैक्टर प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 के नाम खारिज कर वादीगण को खातेदार कृषक होने की घोषणा की डिक्री पारित करावे। इसलिए वादीगण घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय में यह वाद पेश कर रहे हैं।

• यह कि वादकारण वादीगण द्वारा इस वर्ष आज से 1 माह पूर्व पटवारी हल्का से उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने पर प्रतिवादीगण कं. 1 लगायत 5 के खाते दर्ज होने की जानकारी होने से दिनांक 24.04.2015 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई।

• अतः ग्राम जिठाणी तहसील सांगोद की आराजी खसरा नंबर 149 की 0.13 हैक्टर आराजी से प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 के नाम खाते से खारिज कर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर आराजी को राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज कर अलग से राज लगान अंकन फरमाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू–1 रामप्रसाद, पीडब्ल्यू–2 महेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू–3 शंकरलाल के मुख्यपरीक्षा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील वादीगण की सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में न्यायालय का ध्यान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.05.1986 की ओर आकर्षित किया और कथन किया कि चूंकि प्रतिवादीगण के पिता रामनाथ द्वारा वादीगण के पिता के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर करके कब्जा आराजी वादीगण के पिता मदनलाल को सम्भला दिया था जिसके कारण प्रतिवादीगण के पिता के अधिकार वादग्रस्त आराजी में समाप्त हो गये थे तथा पटवारी हल्का को मृतक रामनाथ के स्थान पर प्रतिवादीगण के पक्ष में फोती इन्तकाल तस्दीक करके प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। जबकि वादीगण केता मदनलाल के विधिक वारिसान होने से कानूनन वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं। अतः वादग्रस्त आराजी के रेकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम खारिज किये जाने वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, अभिवचनों, साक्ष्य एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब मय रिपोर्ट पटवार मण्डल कमोलर का सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादीनी स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम जिठानी तहसील सांगोद की आराजी खसरा नंबर 149 की 0.13 हैक्टर का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 24/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 30/2015

1. धन्नालाल पुत्र मदनलाल जाति माली मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. महेन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल जाति माली,
   1/2. मंजूबाई पुत्री धन्नालाल जाति माली,
   1/3. पिंकी पुत्री धन्नालाल जाति माली,
   1/4. मीना पुत्री धन्नालाल जाति माली,
   1/5. बिरधीबाई बेवा धन्नालाल जाति माली निवासीगण ग्राम जिठानी तहसील सांगोद,
2. रामप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति माली,
3. श्रीमती रूकमणीबाई पुत्री मदनलाल जाति माली,
4. रामकंवरीबाई बेवा मदनलाल जाति माली निवासीगण ग्राम जिठानी तहसील सांगोद जिला कोटा।(डिलिट आदेश 25.08.2025 से)

–वादीगण–

–बनाम–

1. द्वारकीलाल पुत्र रामनाथ जाति नाई,
2. नन्दलाल पुत्र रामनाथ जाति नाई,
3. पप्पू पुत्र रामनाथ जाति नाई(डिलिट आदेश 02.02.2021 से)
4. कमलाबाई बेवा रामनाथ जाति नाई,
5. गोबरीबाई बेवा रामनाथ जाति नाई निवासीगण ग्राम जिठाणी तहसील अटरू जिला बारां,
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

वादपत्र धारा 88, 89 आरटीएक्ट

तारीख फैसला दिनांक ..... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम जिठानी तहसील सांगोद की आराजी खसरा नंबर 149 की 0.13 हैक्टर का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। निज ——— मुबलिग ——— बाबत ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ——— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 24/3/26 को जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।